न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:–29/2018(जीसीएमएस नम्बर 2018/00122)

1. सूरज देवी पत्नी सत्यनारायण, जाति पुरोहित ब्राह्मण **(मृतक दौराने अपील)**
2. कमला देवी पत्नी मोती लाल, जाति गुर्जर निवासी दुब्बी, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
3. केशन्ता देवी पत्नी हरिसिंह, जाति गुर्जर निवासी दुब्बी तहसील सिकराय, जिला दौसा।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. रणजीता पुत्र कृष्णगोपाल, जाति पारीक ब्राहम्ण निवासी रेटा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत दुब्बी तहसील सिकराय, जिला दौसा।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:–

1. **श्री हिमान्शु सोगानी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री आनन्द कृष्ण पारीक एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 03.04.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि ग्राम रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 105/10 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 105/2 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 155/2 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 105/6 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा के सत्यनारायण पुत्र बालाबक्स के हिस्से की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1218 ग्राम रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा विधिवत रूप अपीलान्ट संख्या 1 सत्यानारायण की वारिस होने के नाते अपीलान्ट संख्या 1 के हक में भरकर और विधिवत जॉच कर ग्राम पंचायत दुब्बी ने दिनांक 20.02.2014 को तस्दीक किया और उक्त भूमि के सत्यनारायण के हिस्से की खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलान्ट संख्या 1 हुई। उक्त भूमि के सत्यनारायण के हिस्से पर पहले सत्यनारायण का कब्जा और सत्यनारायण की मृत्यु के बाद अपीलान्ट संख्या 1 को कब्जा था। अपीलान्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि के अपने हिस्से का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट संख्या 2 व 3 को बेचान करके और मौके पर कब्जा अपीलान्ट संख्या 2 व 3 का करवा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट संख्या 1 के हक में खुले सत्यनारायण की विरासत के नामान्तरकण संख्या 1218 ग्राम रेटा पर ग्राम पंचायत दुब्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2014 के विरूद्ध निहायती झूठे तथ्यों के आधार पर मयाद बाहर एक अपील बिना इजाजत लिये बिना अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिस पर

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपील पेश करने की इजाजत दिये बिना मियाद के बिन्दु को तय किये बिना वसीयत को पढे बिना, विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को लिखे बिना एवं उनके द्वारा दी गई रूलिंगों का हलवा दिये बिना, दिनांक 02.12.2014 को उक्त अपील को मंजूर करके और नामान्तरकरण संख्या 1218 पर पारित आदेश दिनांक 20.02.2014 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड कर दिया गया जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत दुब्बी के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पक्षकार नही था और ग्राम पंचायत के उक्त निर्णय से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रभावित पक्षकार भी नही था तथा कानूनन ग्राम पंचायत दुब्बी के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त ग्राम पंचायत दुब्बी के आदेश के खिलाफ बिना इजाजत लिये अपील भी पेश नही कर सकता था और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कोई इजाजत भी नही ली थी और अधीनस्थ न्यायालय ने अपील करने की कोई इजाजत भी नही दी थी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट की अपील को स्वीकार किया जाना विधि विरूद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील मियाद बाहर थी जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त नामान्तरकरण की दिनांक 20.02.2014 से ही जानकारी थी औ विलम्ब का कोई कारण नही दिया गया उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को तय किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आपको फर्जी तरीके से सत्यनारायण का दत्तक पुत्र बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने किसी भी दस्तावेज से अपने आपको दत्तक पुत्र सिद्ध नही किया था और अधीनस्थ न्यायालय को दत्तक पुत्र सम्बन्धी निर्णय करने का अधिकार भी नही था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को स्वीकार कर कानूनी गलती की है। उन्होने आगे कथन किया है कि तथाकथित वसीयत जिसको आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उक्त तथाकथित वसीयत को देखे तो उक्त वसीयत भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नही है, उक्त वसीयत में यह लिखा हुआ है कि सत्यनारायण की मृत्यु के बाद अधिकार अपीलान्ट संख्या 1 को होंगे और अपीलान्ट संख्या 1 की मृत्यु होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को होंगे। सत्यनारायण की मृत्यु के बाद अपीलान्ट संख्या 1 को अधिकार उक्त वसीयत में दिये गये है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त वसीयत के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को पढ़े बिना अपील मंजूर करके कानूनी गलती की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2014 को निरस्त फरमाया जावें।

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट का सगा चाचा एवं अपीलान्ट संख्या 1 के पति सत्यनारायण पुत्र बालाबक्श की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चाचा सत्यनारायण के कोई संतान उत्पन्न नही हुयी थी इसलिये अपीलान्ट के पति सत्यनारायण जो की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का चाचा था ने अपने कोई संतान नही होने के कारण अपनी वृद्धावस्था में सेवा–सुश्रुषा करने के लिए तथा अपनी सम्पत्ति की सार संभाल करने हेतु अपनी पत्नी अपीलान्ट की सहमति से अपने जीवनकाल में ही अपने बडे भाई कृष्णगोपाल के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गांव के पंच–पटेलान के समक्ष नारीयल बतासे बांटकर बतौर दत्तक पुत्र अपनाया था तथा उसके शादी विवाह स्वयं अपीलान्ट संख्या 1 एवं उसके पति के द्वारा ही किये गये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही अपीलान्ट संख्या 1 व उसके पति सत्यनारायण की सेवा–सुश्रुषा, सार संभाल करता रहा है तथा श्री सत्यनारायण स्वयं ने अपीलान्ट संख्या 1 की सहमति से अपने जीवनकाल मे अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति का मालिक स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बनाया और तब से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति का स्वामी काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट संख्या 1 के पति के द्वारा अपने जीवनकाल में ही यह सोचकर कि भविष्य में विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्वसियती विवाद उत्पन्न नही हो, इसलिये अपीलान्ट संख्या 1 के पति के द्वारा दिनांक 26.04.1994 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में एक वसीयत पत्र दो साक्षीयों शूरसिह व जगन्नाथ प्रसाद मीना के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किया जिसको स्वयं अपीलान्ट संख्या 1 के पति ने उक्त वसीयत पत्र को उप पंजीयक सिकराय के यहॉ पुस्तक संख्या 3 भाग संख्या 5 क्रम संख्या 128 पृष्ठ संख्या 19 पर पंजीकृत करवाया तथा भूमि विवादग्रस्त के खातेदार सत्यनारायण की दिनांक 23.08.2001 को मृत्यु हो गई तथा उसकी मृत्युपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ही अपने कुदरती पिता के दाह संस्कार, पिण्ड दान क्रियाकर्म, द्वादशा आदि किया और अपीलान्ट संख्या 1 पति की पगड़ी भी स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के ही बंधी थी।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट संख्या 1 चालाक एवं बेईमान किस्म की है और अपीलान्ट संख्या 1 के मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई और अपीलान्ट संख्या 1 ने अपने पति के नाम हो रही खातेदारी की भूमि की आड़ में अपने पति की मृत्यु के करीब 11 साल बाद इस तथ्य को भली–भॉति जानते हुये कि उक्त विवादित भूमि की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में की जा चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही हमारा वारिस है और भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही कब्जा काश्त है तथा मेरे द्वारा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हक में एक शपथ पत्र भी तहरीर किया जा चुका है उसके बावजूद भी अपीलान्ट संख्या 1 ने अपने हक में वसीयतकर्ता सत्यनारायण की विरासत का नामान्तरकरण गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गॉठ कर अपने हक में दिनांक 20.02.2014 को नामान्तरकरण संख्या 1218 तस्दीक करवा लिया जिसका जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नही होने दिया तथा अपीलान्ट संख्या 1 उसके पीहर पक्ष के

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

व्यक्तियों को लेकर दिनांक 22.03.2014 को विवादित भूमि पर आयी और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बाई हुई फसल को जबरन लाठी के बल पर काटने को तैयार हो गई तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कहा कि आपका उक्त विवादित आराजी से क्या लेना–देना है तब अपीलान्ट संख्या 1 ने ऐलानियॉ कहा कि मैने विवादित आराजी का नामान्तरकरण मेरे नाम खुलवा लिया है, इस भूमि से आपका कोई लेना–देना नही है ओर मैं विवादित आराजी को किसी अन्य दीकर व्यक्ति को विक्रय करके रहूँगी तथा तुम्हे तुम्हारे कब्जे से बेदखल करके रहूँगी तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कहा कि आप लोगों ने मेरे नाम वसीयत लिख रखी है ताथ आप लोगों ने मुझको गांव के पंच–पटेलान के समक्ष गोद लिया है, तो आप इस भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम कैसे खुलवा सकती हो तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हल्का पटवारी के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि मृतक सत्यनारायण की विरासत का नामान्तरकरण तो अपीलान्ट संख्या 1 ने अपने हक में पूर्व में ही खुलवा लिया है तब आकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा की गई उक्त बेईमानी की जानकारी हुई जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरकरण की नकलादि लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार सत्यनारायण की मृत्यु हो चुकी है तथा वर्तमान में अपीलान्ट संख्या 1 की भी मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर उनके समस्त हक, हकुक, अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 में ही निहित हो चुके है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड ही किया गया वहॉ जॉच होकर पुनः विधि सम्मत कार्यवाही हो सकेंगी। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में जहॉ तक गोद पुत्र तथा वसीयत की विधिक मान्यता का प्रश्न है, यह तो सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु है जिसे सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि यदपि स्व. श्री सत्यनारायण द्वारा अपनी चल अचल सम्पत्ति की एक वसीयत दिनांक 26.04.1994 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में निष्पादित की गई है किन्तु उक्त वसीयत में अंकित तथ्यों के अनुसार वसीयतकर्ता सत्यनारायण की मृत्यु के उपरान्त उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति की स्वामी उनकी पत्नी होंगी तथा उनकी पत्नी की मृत्युपरान्त चल अचल सम्पत्ति में समस्त अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रणजीता को प्रदत्त होंगे। चूँकि प्रकरण में भूमि विवादग्रस्त के खातेदार सत्यनारायण की मृत्यु उपरान्त उनकी पत्नी अपीलान्ट संख्या 1 सूरज देवी जीवित थी तथा सूरज देवी के जीवित होने के दौरान ही नामान्तरकरण संख्या 1218 स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत दुब्बी द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 सूरज देवी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1218 में किसी प्रकार विधिक त्रुटि नही की गई है तथा उक्त नामान्तरकरण में बिना सिविल न्यायालय के आदेश के कोई भी तब्दीली किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय (जो सिविल न्यायालय नही है) द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2014 पारित किया गया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2014 को निरस्त किया जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त
जयपुर।